शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 16.09.24

धारा 109(1) BNS मे वाछिंत चल रहे अभियुक्त को घटना मे प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस के साथ गिया गिरफ्तार ।

श्री राजेश एस0, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजय कुमार,अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में एंव श्रीमती सौम्या पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल के नेतृत्व में थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस द्वारा धटना का सफल अनावरण किया गया।

दि0 15.09.24 को वादिनी कुमारी काजल सक्सेना पुत्री रामनाथ सक्सेना निवासी रौसर कोठी थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर ने तहरीर सूचना दी कि दि0 14.09.24 को अभियुक्तगण 1. निशान्त वर्मा पुत्र सुरेन्द्र वर्मा 2. हिमान्शु शर्मा पुत्र अनिल शर्मा 3. सौरभ कश्यप पुत्र तेजपाल कश्यप 4. दानियाल पुत्र अज्ञात 5. चार अन्य अज्ञात निवासीगण अज्ञात द्वारा वादिनी उपरोक्त के भाई देव सक्सेना पुत्र रामनाथ सक्सेना निवासी रौसर कोठी बगंला न0 8 थाना रामचन्द्र मिशन के साथ गाली गलौज व मारपीट कर जान से मारने की नीयत से निशांत द्वारा देव उपरोक्त के जांघ में गोली मार देने के सम्बन्ध में वादिनी की लिखित तहरीर पर दि0 15.09.24 को थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर पर मु0अ0सं0 266/24 धारा 115(2)/ 352/109 BNS बनाम निशान्त वर्मा आदि उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की गम्भीरता को ध्यान मे रखते हुए उपरोक्त वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर की पुलिस टीम द्वारा तलाश व गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था। उक्त टीम द्वारा आज दिनांक 16.09.24 को अभियुक्त सुमित पुत्र वीरपाल नि0 रौसरकोठी थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया उक्त अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा उक्त प्रकरण में नकुल पुत्र अहिवरन निवासी रौसरसकोठी , हिमांशु शर्मा पुत्र अनिल शर्मा निवासी चौडेरा थाना रामचन्द्र मिशन जिला शाहजहाँपुर व सौरभ कश्यप पुत्र तेजपाल कश्यप निवासी रौसरकोठी के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 170 BNSS में गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुशार पेश किया जा रहा है। शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है शीघ्र ही शेष अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी की जायेगी।

घटना का सक्षिप्त विवरण

पूछताछ में अभियुक्त सुमित द्वारा बताया गया कि पूर्व में पंजीकृत मुकदमें व आपसी रंजिश के कारण निशांत वर्मा नकुल के पास पहुँचा और निशान्त वर्मा ने नकुल और देव सक्सैना से कहा कि तुम लोगों ने मेरे व मेरे साथियों पर झूठा मुकदमा लिखा दिये थे जिसपर देव सक्सैना ने अकड़कर कहा कि जो तुमने घटना की उस पर मुकदमा लिखा गया था इस पर निशान्त वर्मा ने देव सक्सैना का गला पकड़ लिया तो देव व नकुल व कुनाल ने विरोध करते हुए निशान्त को रोका जिस पर निशान्त वर्मा के साथ आये हिमान्शू शर्मा व सौरभ कश्यप व कन्हैया मिश्रा व शिवम राठौर से निशान्त वर्मा का पक्ष लेने लगे जिस पर दोनों पक्ष में मारपीट होने लगी तभी अचनाक देव सक्सैना ने अपनी पैंट की फैंट से तमंचा निकालकर निशान्त पर फायर करने के लिए ताना लेकिन देव सक्सैना जब तक फायर करता उससे पहले ही निशान्त वर्मा ने देव सक्सैना के हाथ को

पकडकर देव सक्सैना को जान से मारने के लिए तंमचा का ट्रेगर दवा दिया और गोली देव सक्सैना के बायीं जांग में लग गयी थी।

नाम व पता अभियुक्त -

सुमित पुत्र वीरपाल नि0 रौसरकोठी थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 266/24 धारा 115(2) BNS व 9/25 A.ACT थाना रामचन्द्र मिशन शाहजहांपुर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधि0/कर्मचारीगण -

1. निरीक्षक अपराध श्री दिगम्बर सिंह थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहांपुर।
2. उ0नि0 श्री सूरज पचौरी थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर।
3. का0 2290 अंकित तोमर थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर।
4. का02623 सेवेन्द्र थाना रामचन्द्र मिशन जनपद शाहजहाँपुर।